

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प. 3(190)गृह-6/2011


जयपुर, दिनांक :- 22/10/21

—: आदेश :-

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2012 के सम्बन्ध सतत मॉनिटरिंग हेतु महानिदेशक, पुलिस इन्टेलीजेन्स को निम्न 4 नई सेवाओं हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

1	NOC for setting up Explosives Manufacturing Storage, Sale, Transport under Explosive act, 1884 and Explosive Rules, 2008	6 माह New service
2	Licencing for Auditorium / Place of public Amusement / Performance for public Amusement (as applicable)	30 दिवस New service
3	Cinematograph License & License For screening Films (as applicable)	50 दिवस New service
4	Licence For Fireworks (Crackers)	6 माह New service

आज्ञा से,


(सुरेश चन्द गुप्ता)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस इन्टेलीजेन्स एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम।
3. निदेशक, पब्लिक सर्विसेज एवं पदेन सयंक्त शासन सचिव जन अभियोग निराकरण विभाग जयपुर को उनकी अशा.टीप संख्या प.16(18) आरपीजी/लोसेगाअधि/21 दिनांक 21.09.2021 के क्रम में।
4. प्रोग्रामर, गृह विभाग की विभागीय वेब साईट पर नोडल अधिकारी, राज. लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम-2011 का आदेश अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, गृह